**न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–03, मुरादाबाद।**

**सत्र परीक्षण संख्या–283/2024**

राज्य बनाम शाहनवाज आदि ।

मुकदमा अपराध संख्या–296/2022,
धारा–498 ए, 323/34, 342, 307/34,
504, 506 भा0 दं0 सं0 व धारा–3/4 दहेज
प्रतिषेध अधिनियम,
थाना मैनाठेर, जिला मुरादाबाद ।

**दिनांकः 28.07.2026**

पत्रावली पेश हुई। आवेदकगण/अभियुक्तगण शाहनवाज आदि की ओर से प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थीगण ने उपरोक्त मुकदमे को समाप्त कराने हेतु माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में धारा–528 बी.एन.एस.एस. का प्रार्थना पत्र सं–ख्या–44792/2025 योजित किया था। माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दिनांक 16.07.2026 को उपरोक्त केस की कार्यवाही को निरस्त कर दिया है। अतः माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश के अनुपालन में उचित आदेश पारित किये जाने की याचना की गयी है।

आवेदकगण/अभियुक्तगण द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा APPLICATION U/S 528 BNSS No.–44792 of 2025 में पारित आदेश दिनांकित 16.07.2026 की प्रस्तुत सत्यप्रतिलिपि के संबंध में कम्प्यूटर अनुभाग से आख्या आहूत की गयी है। कम्प्यूटर अनुभाग द्वारा आख्या प्रस्तुत की गयी है कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की बेवसाइड पर आदेश उपरोक्त बेवसाइड के अनुसार सत्यापित है।

सुना तथा माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश का ससम्मान अवलो–कन किया।

अवलोकन से ज्ञात होता है कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा APPLICATION U/S 528 BNSS No.–44792 of 2025, Shahnawaz And 2 Others Vs. State Of U.P. And 2 Others के मामलें में दिनांक 16.07.2026 को निम्नवत् आदेश पारित किया गया है।

> "5. From the perusal of the record it is apparent that parties have entered into compromise and have settled their dispute amicably.
>
> 6. The law with regards to quashing of a case on the basis of settlement arrived between the parties, is well settled. The Apex Court in the case of *(1)* **B.S. Joshi and others Vs. State of Haryana and another: 2003(4) SCC 675; (2) Nikhil Merchant Vs. Central Bureau of Investigation : (2008) 9 SCC 677; (3) Manoj Sharma Vs. State and others: (2008) 16 SCC 1; (4) Gian Singh Vs. State of Punjab: (2012) 10 SCC**

**303; (5) Shaifullah and others Vs. State of U.P. And another: 2013 (83) ACC 278 and (6) Parbatbhai Ahir @ Parbatbhai @ Bhimsinbhai Karmur and others Vs. State of Gujarat and another: (2017) 9 SCC 641** has held that the cases in which the parties have settled their grievances can be quashed.

7. From perusal of the records and the law laid down by the Apex Court on the subject matter, the present case is a good case for exercising powers by this Court to quash the proceedings as prayed for the applicants.

8. The entire proceedings of the aforesaid case with regrad to the present applicants are hereby **quashed.**

9. The present application is **allowed.**"

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के उपरोक्त आदेश दिनांकित 16.07.2026 के माध्यम से सत्र परीक्षण संख्या–283/2024, राज्य बनाम शाहनवाज आदि, मुकदमा अपराध संख्या–296/2022, अन्तर्गत धारा–498ए, 323, 342, 307, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता व धारा–3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, थाना मैनाठेर, जिला मुरादाबाद की सम्पूर्ण कार्यवाही समाप्त कर दी गयी है।

अतः माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा APPLICATION U/S 528 BNSS No.–44792 of 2025, Shahnawaz And 2 Others Vs. State Of U.P. And 2 Others में पारित आदेश दिनांकित 16.07.2026 के अनुक्रम में सत्र परीक्षण संख्या–283/2024, राज्य बनाम शाहनवाज आदि, मुकदमा अपराध संख्या–296/2022, अन्तर्गत धारा–498ए, 323, 342, 307, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता व धारा–3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, थाना मैनाठेर, जिला मुरादाबाद की सम्पूर्ण कार्यवाही समाप्त समाप्त की जाती है।

पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(सुरेन्द्र कुमार)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट संख्या–3, मुरादाबाद।

दिनांकः 28.07.2026